न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र. (रैफ.) संख्या 16/17 तारीख रजू 16.5.2017

RCMS NO. 2017/00246

बउनवानीः– सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

बनाम

1. हीरा पुत्र बजरंगा जाति गुर्जर निवासी फलौदी, तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
2. नूरका बेवा बजरंगा जाति गुर्जर निवासी फलौदी, तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
3. अर्जुन पुत्र श्योदान जाति गुर्जर निवासी फलौदी,तह0 व जिला सवाईमाधोपुर**(मृतक)**

3/1. कानजी पुत्र अर्जुन गुर्जर निवासी फलौदी, तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
3/2. पप्पू पुत्र अर्जुन गुर्जर निवासी फलौदी, तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
3/3. प्रभूली पुत्री अर्जुन गुर्जर निवासी फलौदी, तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
3/4. धनबाई पत्नि अर्जुन गुर्जर निवासी फलौदी, तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
3/5. दीपू पुत्र सुरज्ञान गुर्जर निवासी फलौदी, तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
3/6. मनीष पुत्र सुरज्ञान गुर्जर निवासी फलौदी, तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
3/7. बन्टी पुत्र सुरज्ञान गुर्जर निवासी फलौदी, तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
3/8. धोला पत्नि सुरज्ञान गुर्जर निवासी फलौदी, तह0 व जिला सवाईमाधोपुर

(रैफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88(2), राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956)

उपस्थितः–1. श्री महावीर चौधरी पैरोकार राजस्व
2. श्री पारस मल जैन वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 3

–: निर्णय :– **दिनांक 11.3.2020**

यह रेफ.प्रार्थना पत्र तहसीलदार सवाईमाधोपुर ने डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 की पालना में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 88(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम फलौदी तह0 सवाईमाधोपुर की आराजी ख0न0 23 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा किस्म गै0मु0 तलाई के रूप में जमाबन्दी सम्वत् 2014 से 2017 एवं 2030 से 2033 में अभिलिखित थी तथा भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 में वर्णित वर्ग की श्रेणी में आने के कारण इस भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होते है तथा यह भूमि काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम,1970 के नियम 4(1) के अन्तर्गत आवंटन/नियमन के योग्य नही है किन्तु आवंटन अधिकारी ने उक्त भूमि मे से रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा भूमि का नियमन अनियमित रूप से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एवं अप्रार्थी संख्या 3/1 लगायत 3/8 के पूर्वज के पक्ष में कर दिया है जो अवैद्य है एवं नियम विरूद्व नियमन की श्रेणी मे आता है जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 508 दिनांक 4.10.1977 से गैर खातेदारी का व नामा0 संख्या 1126 दिनांक 07.02.1983 से खातेदारी अप्रार्थीगण/अप्रार्थीगण के पूर्वज के पक्ष मे एवं नामा0 संख्या 1141 दिनांक निल से विरासत का अप्रार्थीण के नाम दर्ज फैसल किया गया है जो अनियमित होने से निरस्तनीय है। अतः निगरानी/रैफ. प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष में किये गये अवैद्य नियमन के आधार पर खातेदारी प्रोदभूत वर्जित भूमियों के संबंध में उपरोक्त वर्णित नामान्तरकरणों को निरस्त किया जावे।

इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण एवं उनके पूर्वज के पक्ष मे किये गये उक्त आवंटन को निरस्त करवाने बाबत उक्त रैफ. दिनांक 07.11.2006 को राजस्व मण्डल को रेफर किया गया था किन्तु राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 18.1.2017 से उक्त रैफरेन्स इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में सम्वत् 2005 की जमाबन्दी या अन्य कोई तत्कालीन रिकार्ड मंगवाया जाकर उभय पक्षों को सुनकर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। प्रकरण न्यायालय हाजा में पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों की तलवी की गयी तथा सम्वत् 2005 का कोई राजस्व रिकार्ड तहसील मे उपलब्ध नही होने के कारण सम्वत् 2014 से 2017 एवं 2030 से 2033 की जमाबन्दी ग्राम फलौदी तहसीलदार सवाई माधोपुर से तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गयी जिसमे उक्त ख0न0 23 गै0मु0 नली दर्ज है। तत्पश्चात बहस पैरोकार राजस्व एवं वकील अप्रार्थीगण सुनीय गयी।

डॉ0 एस0 पी0 सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

दौराने बहस पैरोकार राजस्व द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर प्रस्तुत रैफरेन्स के संबंध में सम्वत् 2014 से 2017 एवं 2030 से 2033 की जमाबन्दी की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि ग्राम फलौदी तहसील सवाईमाधोपुर की आराजी ख0न0 23 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा जो कि मुताबिक राजस्व अभिलेख गै.मु. तलाई के रूप मे दर्ज थी जिसमे से नियमों के विपरीत उक्त भूमि का आवंटन अप्रार्थीगण के पक्ष में किया जाकर विधि विरूद्व तरीके से नामान्तरकरण संख्या 508 दिनांक 4.10.1977 से गैर खातेदारी का व नामा0 संख्या 1126 दिनांक 07.02.1983 से खातेदारी अप्रार्थीगण के पक्ष मे एवं नामा0 संख्या 1141 दिनांक निल से विरासत का अप्रार्थीण के नाम दर्ज कर तस्दीक कर दिया गया है जो नियम विरूद्व होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 एवं वर्जित वर्ग की श्रेणी मे आने के कारण इस भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकारी उद्भूत नही होते तथा यह भूमि काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम,1970 के नियम 4(1) के अन्तर्गत नियमन के योग्य नही है इस प्रकार विधि विरूद्व दर्ज फैसल किये गये उक्त नामा0 निरस्त फरमाये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 द्वारा भी इस प्रकार की भूमियों के संबंध में 15.8.1947 की स्थिति बहाल करने बाबत आदेश प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के पक्ष में विधि विरूद्व दर्ज फैसल किये गये नामा0 को निरस्त फरमाये जाने की राय के साथ रैफरेन्स मा0 राजस्व मण्डल को भिजवाये जाने बाबत निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वैसे तो अदालत मातहत द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स बिना किसी ठोस आधार एवं तथ्यो की जॉच किये बिना ही प्रस्तुत किया गया है तथा आवंटित भूमि अप्रार्थीगण व उसके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा सम्वत् 2005 मे उक्त ख0न0 गै0मु0 नली हो ऐसा कोई दस्तावेज तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत नही किया है। अतः तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर न्याय के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स स्वीकार किया जाकर राजस्व मण्डल को रैफर किया जाना न्यायोचित समझता हूँ। परिणाम स्वरूप रैफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 82 के अन्तर्गत ग्राम फलौदी तहसील सवाईमाधोपुर का नामा0संख्या 508 दिनांक 4.10.1977 से गैर खातेदारी का व नामा0 संख्या 1126 दिनांक 07.02.1983 खातेदारी एवं नामा0 संख्या 1141 दिनांक निल से विरासत का अप्रार्थीण के पक्ष मे खातेदारी हुई है। उक्त तीनों नामा0 को निरस्त करने की राय के मय जमाबन्दी सम्वत् 2014 से 2017 एवं सम्वत् 2030 से 2033 के साथ माननीय राजस्व मण्डल–राजस्थान–अजमेंर को रैफर किया जाता है। उभयपक्षों को माननीय राजस्व मण्डल में दिनांक 22.4.2020 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.3.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2020.03.30 18:04:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: